न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. (केम्प कोर्ट खजूरना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

मुकदमा नं 131/14 दावा — निर्णय दिनांक 19.06.2015

मिसल नं0 35/14 प्रा0पत्र

कोर्ट केम्प खजूरना

दाखाबाई पुत्री नारायण पत्नी देवलाल जाति गर्जर निवासी खोदयाखेडी हाल मुकाम धर्मपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–वादी

बनाम

1. घीस्या वल्द गेंदया जाति माली निवासी ऊरना तहसील कनवास जिला कोटा।
2. राजाराम पुत्र मथुरालाल मृतक कायममुकाम – सीमा , सुनीता पुत्रियां राजाराम जाति गुर्जर निवासी खोदयाखेडी तहसील कनवास जिला कोटा।
3. धनराज वल शैतान जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम खोदयाखेडी तहसील कनवास जिला कोटा।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर, टी, एक्ट काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रार्थन पत्र अन्तर्गत 212 आर टी एक्ट काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – दाखाबाई पुत्री नारायण पत्नी देवलाल जाति गर्जर निवासी खोदयाखेडी हाल मुकाम धर्मपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– वादी

1. – राजाराम पुत्र मथुरालाल मृतक कायममुकाम –1. सीमा पुत्री राजाराम जाति गुर्जर निवासी खोदयाखेडी,तहसील कनवास जिला कोटा 2. सुनीता पुत्रिया राजाराम जाति गुर्जर निवासी खोदयाखेडी तहसील कनवास जिला कोटा।
2. धर्मराज वल्द शैतान जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम खोदयोखडी तहसील कनवास जिला कोटा।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

– प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 02.06.2015

मिसल नंबर 131/14 दावा एवं मिसल नं0 35/14 प्रार्थना–पत्र में पक्षकार समान होने के फलस्वरूप दोनों का निस्तारण एक साथ किया जाना हम उचित समझते हैं संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है जर्ये वकील वादी पेश कर निवेदन किया कि, माल ग्राम मोहनपुरा में वादिनी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की वर्तमान सेटलमेंट के मुताबिक ख0 न0 112 की 2.27 हैक्टेयर भूमि स्थित है। ज़ो वर्तमान में जमाबंदी में घीस्या पुत्र गेंदया जाति माली निवासी ऊरना के खाते दर्ज है। वाद पत्र की मद न0 1 में दर्ज आराजी मूलतः सम्वत 2001 से 2012 तक घीस्या पुत्र गेंदया, भंवरिया पुत्र अमरा व रामा पुत्र अमरा के खाते दर्ज रही है। उक्त खातेदारान ने उक्त आराजी जिसके साबिक खसरा नबंर सम्वत 2001 से 2012 तक 114 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा रहे है। जिसमें से 14 बीघा आराजी को वादिनी के पिता नारायण पुत्र खेमा जाति गूर्जर निवासी खोदयाखेडी तहसील कनवास को दिनांक 12.02.1957 को जर्ये रजिस्टर्ड बेयनामा से बेचान कर कब्जा आराजी संभला दिया था। तब से आज तक उक्त आराजी 14 बीघा भूमि पूर्व में वादिनी के पिता एवं पित के स्वर्गवास के बाद वादिनी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। तथा सम्वत – 2012 से लेकर 2015 तक सेटलमेंट होने के कारण राजस्व रेकार्ड सेटलमेंट अधिकारियों के पास होने के कारण तत्काल रजिस्ट्री के मुताबिक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हीं करवा सके। और अज्ञानता वश भी बाद में इंतकाल नहीं खुलवा सके। लेकिन कब्ज के मुताबिक सम्वत 2037 से लेकर 2040 की जमाबंदी के मुताबिक वादी के पिता का नाम उपकृषक में दर्ज खाता है। जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2063 से सम्वत 2066 से भी दर्ज चला आ रहा है।

बेचानकर्ता खातेदारों में भंवरिया व रामा लाओलादफोत हो जाने के बाद इनका हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम मुताबिक राजस्व रेकार्ड चला गया और वर्तमान में केवल मात्र घीस्या पुत्र गेंदया जाति माली का नाम ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसका फायदा उठाकर दिनांक 04.03.2010 को यह जानते हुये कि उक्त आराजी पूर्व में बेचान की जा चुकी है। तथा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 का नाम गलत दर्ज है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादिनी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नबंर 112 की 2.27 हैक्टयर भूमि को प्रतिवादी न0 2 व 3 को बेचान कर दिया है। जिस पर प्रतिवादी नं.0 2 व 3 कब्जा करने के उद्वेश्य से वादिनी के स्वामित्व कब्जे की आराजी पर मदाखलत मजामहत करने पर आमाद है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। वादिनी अपने पिता द्वारा कराई गई रजिस्ट्री व कब्जे के आधार पर वादिनी सेटलमेंट सम्वत 2001 से 2012 के खसरा नम्बर 114 की 14 बीघा भूमि जिसके बाद सेटलमेंट सम्वत 2013 से 2032 में खसरा नम्बर 74 तथा वर्तमान सेटलमेंट सम्वत 2058 से 2066 में खसरा नम्बर 112 की 2.27 हैक्टेर भूमि को अपने नाम खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है तथा किसी भी व्यक्ति को वादिनी के स्वामित्व व कब्जे में मदाखलत व मजामहत करने से रोकना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रदिवादी नंबर 1 द्वारा पूर्व मं बेचान की गई आराजी का कब्जा संभलाने के बाद उ
उक्त आराजी पर कोई अधिकार कानूनन शेष नहीं रहता है। इसके बावजूद भी इसके द्वाराप्रति
नंबर 2 व 3 को किया गया पुनः बेचान नल एण्ड वोईड है। जिसका कोई कानूनी असर नहीं
लेकिन इस दस्तावेज दिंनाक 04.03.2010 को भी माननीय न्यायालय से नल एण्ड वोईड घ
करवाया जाना आवश्यक है। तथा राजस्व रेकार्ड में इस दस्तावेज के आधार पर किसी तरह
बदलाव भी रोका जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वादिनी के लिये यह आवश्यक हो गया है
वह पूर्व खातेदारान् प्रतिवादी नंबर 1 व मृतक भंवरिया व रामा द्वारा वादिनी के पिता को दि
12.02.1957 को किया गया बैचान एवं पंजीयन के आधार पर वादिनी को ग्राम मोहनपुरा की आर
वर्तमान खसरा नंम्बर 112 की 2.27 हैक्टयर भूमि पर खातेदार होने की डिक्री पारित की जावे। त
साथ ही राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया ज
तथा प्रतिवादी नंम्बर 2 व 3 के विरूद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी पर कि
प्रकार की मदाखलत व मजामहत न तो स्वयं करें न ही अपने किसी ऐजेन्ट से ऐसा करवावें। त
किसी भी प्रकार से आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान, दान, विक्रय आदि न करें। प्रतिवादी नंम्बर
भूमि धारक होने से उसे वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। इसलिये वादकारण उत्पन्न हु
है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी क हक में प्रतिवादीगण के विरूद इस आश
की डिक्री पारित की जावे कि, माल ग्राम मोहनपुरा के वर्तमान खसरा नम्बर 112 की 2.27 हैक्टय
भूमि पर वादिनी को खातेदार टीजेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में उक्त खसरा नम्बर प
वादिनी का नाम खाते दर्ज किया जावे। तथा घीस्या द्वारा जो पुनः बेचान दिनांक 04.03.2010 क
प्रतिवादी नंम्बर 2 व 3 को किया गया है उसे नल एण्ड वोईड घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण
नंम्बर 2 व 3 के विरूद इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि, वह वादिनी के स्वामित्व व कब्जे
काश्त की वर्तमान खसरा नम्बर 112 की 2.27 हैक्टयर आराजी माल ग्राम मोहनपुरा पर किसी प्रकार
की मदाखलत व मजामहत रजिस्ट्री की आड में न करें और न ही रजिस्ट्री के आधार पर भविष्य मे
आराजी को अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान, दान विक्रय, खुर्द–बुर्द न तो स्वयं करें और न ही अपने
ऐजेन्डों से करावे। इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी जर्ये सम्मन प्रतिवादीगण की गई।
प्रतिवादीगण न 2 व 3 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी नंबर 1 का जवाब वकील देना नहीं
चाहते है। अतः जवाब बंद किया जाता हे। प्रतिवादी नंबर 4 सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज०)

दिनांक 14.10.2011 को स्वयं उपस्थित उन्होंने अपने जवाब में फर्द में अंकित किया है कि, प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं है। दावा वास्ते तनकीयात में नियत किया गया। तत्पश्चाात वाद में उभयपक्ष को ओर दिनांक 03.06.2013, 04,06,2013 को न्यायालय में पेश किया ताा उभयपक्ष ने वादको मुताबिक राजीनामा निस्तारण करने का निवेदन किया किन्तु किन्ही कारण वश पत्रावली का निस्तारण नहीं हो पाया। पत्रावली आज दिनांक 19.06.2015 को केम्प कोर्ट खजूरना में हमारे समक्ष पेश हुयी जिसमें वादिनी एवं प्रतिवादीगण क्रमांक 2 मृतक राजाराम के कायम मुकाम सीमा सुनिता पुत्रिया राजाराम एवं नोसरबाई पत्नी स्वं श्री राजाराम व प्रतिवादी क्रमांक 3 धर्मराज पुत्र शैतान जाति गुर्जर सा. खोदयाखेडी द्वारा लिखित में पुनः राजीनामा पेश किया। तथा राजीनामा अनुसार विवाद ग्रस्त माल ग्राम मोहनपुरा की आराजी खसरा नंबर 112 रकबा 2.27 हेक्टयर भूमि वादिनी दाखार्बा पुत्री नारायण पत्नी देवलाल जाति गुर्जर सा. खोदयाखेडी हाल मुकाम धर्मपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के नाम खाता दर्ज करने में पूर्ण सहमति जतायी गयी एवं इसमें कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। दावा वास्ते बहस अंतिम निर्णय हेतु नियत किया गया।

दावे में बहस उभयपक्ष राजीनामें पर सुनी गई। उभयपक्ष ने वाद को मुताबिक राजीनामें के अनुसार निस्तारण करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार कनवास ने भी मुताबिक राजीनामा कोर्ट राजहित प्रभावित नहीं होने से राजीनामा अनुसार निर्णय पारित होने पर आपत्ति नंही की एवं राजीनामा अनुसार निर्णय पारित करने हेतु अनुशंषा की गयी। दावे में बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली एवं प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, राजीनामा आदि का अघोपांत अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रेकार्ड में पक्षकारान वादिनी के पिता नारायण पुत्र खेमा को उपकृषक एवं प्रतिवादी नंबर 1 घीस्या पुत्र गेंदया को खातेदार कृषक दर्ज किया हुआ है। पत्रावली का अघोपान्त अवलोकन पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचत है कि दावा वादनी स्वीकार योग्य होने से वादग्रस्त आराजी ग्राम मोहनपुरा तहसील कनवास की आराजी खसरा नंबर 112 की 2.27 हैक्टेयर भूमि पर वादिनी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को मुताबिक राजीनामा कोई ऐतराज नंही है। तथा राजस्व रेकार्ड में भी वादिनी दांखाबाई पुत्री नारायण पत्नी देवलाल जाति गुर्जर निवासी खोदयाखेडी हाल मुकाम धर्मपुरा कोटा का नाम खाते में दर्ज किये जाने की पूर्ण सहमति जतायी गयी है। प्रतिवादी न0 1 द्वारा करवाई गई बाद वाली रजिस्ट्री दिनांक 04.03.2010 को प्रतिवादी नं0 2 व 3 के पक्ष में नल एण्ड वोईड घोषित किये जाने में पक्षकारान की पूर्ण सहमति है। कब्जा काश्त भी वादिनी का ही चला आ रहा है। डिक्री अनुसार वादिनी माल ग्राम मोहनपुरा तहसील कनवास की आराजी खसरा नंबर 112 की 2.27 हैक्टेयर भूमि पर अपना नाम खाता दर्ज

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज0)

करवाकर कब्जे काश्त में रखेगी जिस पर प्रतिवादीगण भविष्य में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत नहीं करेगें। अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 द्वारा किया गया बैचान दिंनाक 04.03.2010 नल एण्ड वोईड घोषित किया जाकर वादिनी दांखाबाई पुत्री नारायण पत्नि देवलाल जाति गूर्जर सा0 खोदयाखेडी हाल मुकाम धर्मपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा को वाद ग्रस्त आराजी माल ग्राम मोहनपुरा प.म. खजूरना की आराजी खसरा नंबर 112 रकबा 2.27 हैक्टयर भूमि पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2015 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। मुताबिक निर्णय पालना हेतु तहसीलदार कनवास को तहरीर जारी हो।

श्री अम्बालाल मीना
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखंण्ड मजिस्ट्रैट
कनवास जिला कोटा